कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नेरट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-08.10.2024

विषयः- श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा आगामी त्यौहार दुर्गा पुजा/दशहरा को संकुशल संपन्न कराये जाने के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों के सम्बन्ध में गोमती जोन के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्ष के साथ गोष्ठी कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश।

आज दिनांक 08.10.2024 को पुलिस लाइन सभागार में श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त् गोमती जोन द्वारा दुर्गा पूजा/दशहरा को सकुशल सम्पन्न कराए जाने दृष्टिगत की जा रही तैयारियों के संबंध में आवश्यक पुलिस प्रबन्ध करने व सतर्क दृष्टि रखने तथा मिशन शक्ति अभियान फेज-5 की व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु समस्त थाना प्रभारी को दिये आवश्यक दिशा निर्देश।

1. शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु दिनांक 03.10.2024 से चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज-5 की व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
2. नवरात्रि/ दुर्गापूजा के अवसर पर परम्परागत रूप से बनाये जाने वाले दुर्गा प्रतिमा पण्डाल के बनाये जाने से पूर्व आयोजकों द्वारा प्रत्येक दशा में सम्बन्धित से अनुमति प्राप्त किया जाय। अनुमति हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि आयोजको के अनुमतिपत्र को त्वरित आख्या दें।
3. दुर्गा प्रतिमा पण्डाल बनाये जाने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्य मार्ग को अवरूद्ध कर आवागमन बाधित नहीं किया गया हो।
4. दुर्गापूजा पण्डाल में प्रवेश एवं निकास द्वार अलग-अलग एवं चौड़ा बनाया जायेगा। पण्डाल में पर्याप्त जगह रखी जाएगी ताकि आकस्मिकता एवं भगदड़ की स्थिति में दर्शनार्थियों को सुचारू रूप से बाहर निकाला जा सकेगा।
5. दुर्गा प्रतिमा पण्डाल के बनाये जाने में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग न किया गया हो।
6. दुर्गापूजा पण्डाल के अन्दर बिजली के नंगे/कटे/टूटे तार का प्रयोग नहीं किया जायेगा। तार के जोड़ों पर टेप लगाया जायेगा।

7. आग से बचाव के लिए दुर्गापूजा पण्डाल के पीछे पानी, रेत व अग्निशमन यन्त्र अतिआवश्यक रूप से रखे जाए।
8. दुर्गापूजा पण्डाल की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगवाये जायेंगे। पण्डाल की सुरक्षा एवं सीसीटीवी कैमरों की मानीटरिंग हेतु वालेण्टियर नियुक्त किया जायेगा, जो शिफ्टवार 24 घण्टे मौजूद रहेंगे।
9. दुर्गापण्डाल में एवं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकलने के दौरान डीजे की आवाज निर्धारित क्षमता से अधिक न रखें। डीजे पर कोई अश्लील, भड़काऊ, किसी धर्म, राजनैतिक व्यक्ति अथवा दल के विरूद्ध कोई गाना/आडियो नहीं बजाया जायेगा।
10. प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई आयोजकों द्वारा वाहन की क्षमता से भी बहुत बड़े-बड़े डीजे लगाते हैं, जिससे न केवल मार्ग अवरूद्ध होता है बल्कि बिजली के खम्भे, ओवरहेड विद्युत तारों से टकराने, अनियंत्रित होकर पलटने जैसी दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है। अतः पिकअप वाहन में उसकी चौड़ाई एवं उचाई तक हीं डीजे लगाया जायेगा।
11. दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निर्धारित एवं परम्परागत मार्ग से निकाला जायेगा।
12. सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि स्वयं मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करें।

इस दौरान श्री आकाश कुमार पटेल, अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन, श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव अपर पुलिस उपायुक्त लाइन्स एवं अपराध शाखा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब, श्री प्रतीक कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा व गोमती जोन के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्ष उपस्थित रहें।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन
कमिश्नरेट वाराणसी।